

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/01/2025

रजू दिनांक: 08.01.2025

रजि0 न0 2025/1

अपीलार्थी:-

श्री रोहिताश पुत्र श्री शिवचरण, निवासी ग्राम नांगल, पो0 मण्डी अटेली, नियर नांगलमोड, जिला महेन्द्रगढ-123021 (हरियाणा)।

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 10.02.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 28.11.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 14.01.2025 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/135 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रा0 पत्र दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से अपीलार्थी के पूर्व सूचना आवेदन दिनांक 28.11.2024 के परिपेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 28.11.2024 के परिपेक्ष्य में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित सूचना RTI Online Portal Outward No. 7171760950 Date 05.02.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित सूचना RTI Online Portal Outward No. 7171760950 Date 05.02.2025 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/136 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(डॉ. आरुति शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)